रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एस.)—72 REGISTERED No. D (DS)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 181] नई दिल्ली, सोमवार, मई 10, 1982/ वैशाख 20, 1904
No 181] NEW DELHI, MONDAY, MAY 10, 1982/VAISAKHA 20, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 1982

का० आ० 314 (अ)—केन्द्रीय सरकार भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयान सम्बन्धी विनियमन) अधिनियम, 1981 (1981 का 42) की धारा 2 के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ओखा, पोरबन्दर, मुम्बई रत्नगिरि, नव मंगलोर, गोवा, कोचीन, तुतीकोरिन मडपम, मद्रास, विशाखापत्तनम, प्रद्वीप हल्दिया और पोर्ट ब्लेयर पत्तनों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 'विनिर्दिष्ट पत्तन' के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[फा०स० 29012/1/82 एम

एम० पी० जोशनवाल,

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 1982

S.O. 314(E).—In exercise of the powers conferred by clause (m) of section 2 of the Maritime Zones of India (Regulation of Fishing by Foreign Vessels) Act, 1981 (42 of 1981), the Central Government hereby specifies the ports of Okha, Porbander, Bombay, Ratnagiri, New Mangalore, Goa, Cochin, Tuticorin, Mandapam, Madras, Visakhapatnam, Paradeep, Haldia and Port Blair as "specified ports" for the purposes of the said Act.

[F. No. 29012/1/82-Fy(T-1)]

S. P. JAKHANWAL, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982